

© 2004 www.mcdonline.gov.in

प्रपत्र (उपविधि सं. 6.7.1)

दिल्ली नगर निगम.

2020/E/HQ/2004 501 ΑΞΙ

फाइल सं.

M/s. Bhasin Resorts Pvt. Ltd.

S-355, Panchsheel Park,

New Delhi

धूम्रितामग्री विमल धृति/सुखं वर वरव वरव
वमया रचने की वषवति मही है - 4-2

पहलपय अर्धिकिया। (अध्यास)

विषय :- दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 336 के अन्तर्गत स्वीकृति।

प्रिय महोदय/महोदया, Proposed Building plan for const. of a Motel Building on Kh. Nos 5min, 6, 7min, 7min, 8, 9, 10, 11 & 14 at Villag Shaheerpur, New Delhi

प्लॉट संख्या _____ में भवन के निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्द्धन/परिवर्तन/आवेदन-पत्र में उल्लिखित विकास कार्यों को करने के बारे में आपके आवेदन-पत्र दिनांक 28-9-2004 के सम्बन्ध में मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि निम्नलिखित शर्तों में किए गए संशोधनों की शर्त पर दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम द्वारा उसे ज़वीक़ति प्रदान कर दी गई है :-

12th April 2010

दिन _____ मास _____ वर्ष तक देय होंगे।

1. ये नक्शे दिना मास वर्ष तक देय होंगे।
2. निर्माण कार्य स्वीकृति नक्शे के अनुसार ही किया जायेगा तथा दिना पूर्व स्वीकृति के उपविधियों में किसी विचलन की अनुमति नहीं होगी। उपविधियों के विरुद्ध किया गया कोई भी विचलन गिराया जा जायगा। नक्शा प्रत्येक नक्शे के लिए लगाये गये वास्तुकार का लाइसेंस रद्द किया सकता है।
The plan shall be deemed to have been not sanctioned in case land shown in the site/sid plan has been notified under the land acquisition act on or prior to the date of release of the plan.
3. भूदान उपविधियों के उल्लंघन पर समझौता नहीं किया जायेगा।
4. भवन के स्वामी तथा नक्शे तैयार करने वाले वास्तुकार का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सौंपित नक्शे के निर्माण कार्य नक्शे लागू भवन उपविधियों के अनुरूप हैं। यदि उपविधियों के किसी उल्लंघन का पता नहीं चलता है तो उसका पता चलने पर नक्शों में परिवर्तन करने का दि. न. नि. को अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में किसी भी दावे की दि. न. नि. द्वारा क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

उपविधियों के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पहले दिल्ली नगर निगम को एक लिखित सूचना दी जाएगी। निर्माण कार्य स्थित लैबल तक पहुँचने पर भी एक ऐसी ही सूचना दिल्ली नगर निगम को दी जायेगी।

6. जब तक अधिकारी द्वारा अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता तब तक पार्टी भवन का अधिभोग नहीं करेगी अथवा अधिभोग करने की अनुमति नहीं देगी अथवा भवन अथवा उसके किसी ऐसे भाग का जिसमें कि निर्माण कार्य किया गया है, प्रयोग नहीं करेगी और न ही उसके प्रयोग की अनुमति देगी।
7. इन भवन नदशों को दिल्ली नगर निगम द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के परिणामस्वरूप सभी खर्चों/घाटों/दावों, जो दिल्ली नगर निगम करे अथवा करने के लिए उत्तरदायी हो, के लिए न्यायालयों की सभी कार्यवाहियों से तथा अन्य प्राविकरणों के समक्ष दिल्ली नगर निगम किसी भी प्रकार की हानि अथवा क्षतिपूर्ति से मुक्त रहेगा।
8. दरवाजों और खिड़कियों के कपाट इस प्रकार लगाये जायेंगे कि वे खोले जाने पर किसी गली की ओर निकले हुए न रहें।
9. भवन का निर्माण भारतीय विद्युत नियमावली में निर्दिष्ट स्थल के साथ लगी वोल्टेज लाइनों से न्यूनतम दूरी के अन्दर नहीं किया जायेगा।

10. सैट बैंक के नियमों के अनुसार खाली छोड़ी गई भूमि सार्वजनिक गली का भाग होगी।

11. यदि उपरोक्त सहायी शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो स्वीकृति प्रारम्भ से ही अयंघ मानी जायेगी।

The owner/builder will display a board with the details mentioned in the performance in neat looking prefabricated structures instead of temp. jhuggies provision of toilet blocks on his own land. All such type of structures shall be of temp. nature and must be removed immediately after the const. is completed. The C.C. shall be only after all structures are removed from site by the owner/ builder. All the conditions of CFO communicated vide their letter No. P.6/MS/DES/GH/EP/2005/313 dt. 15-2-2005 shall be adhered to.

Copy to E.E. (3) / South Zone (2) AA&C(HQ) (3)

(4)